समक्ष जेवी गुप्ता, जे

मेहर सिंह- अपीलकर्ता

बनाम

केहर सिंह और अन्य, -प्रतिवादी

1985 के आदेश क्रमांक 34 से प्रथम अपील.

8 अगस्त 1985.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) - धारा 18, 30, 45 और 53 - अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन - कहा गया आवेदन निर्णय के लिए जिला न्यायाधीश को भेजा गया - जिला न्यायाधीश द्वारा जारी समन और पंजीकृत डाक से दी गई सेवा और प्रत्यावेदन - आवेदन की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए समन के साथ नहीं दी गई - बिना आवेदन के समन की तामील - क्या वैध तामील समझी जाए।

आयोजित, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 45 समन की सेवा से संबंधित है और इसकी धारा 53 में प्रावधान है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि वे इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ से असंगत हों। चूँकि अधिनियम के तहत नोटिस की सेवा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है जैसा कि अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदान किया गया है, सेवा तदनुसार प्रभावी की जानी थी। ऐसे में समन के साथ आवेदन की एक प्रति भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत दायर आवेदन के संबंध में कलेक्टर द्वारा दिया गया एक संदर्भ था और जो एकमात्र नोटिस भेजा जाना था वह यह था कि ऐसा संदर्भ था कलेक्टर द्वारा बनाया गया था जिसका विरोध किया जा सकता था। इस मामले को देखते हुए यह माना जाना चाहिए

कि यद्यपि उपरोक्त आवेदन की एक प्रति नहीं भेजी गई थी, फिर भी पार्टी पर वैध सेवा प्रभावित हुई थी।

(पैरा 4 एवं 5)

श्रीमान न्यायालय के आदेश से प्रथम अपील। वीएम जैन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बाला दिनांक 17 दिसम्बर,1984 को आवेदन ख़ारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस. के. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से के.जी चौधरी, अधिवक्ता।

निर्णय

जेवी गुप्ता, जे.

(1) यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के 17 दिसंबर, 1984 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत मेहर सिंह अपीलकर्ता की ओर से दायर 8 अगस्त, 1984 के एकपक्षीय फैसले को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

केहर सिंह और अन्य प्रतिवादियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 18/30 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके भाई मेहर सिंह (अपीलकर्ता) के 1/4 हिस्से के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसे दिया गया क्योंकि मेहर सिंह पहले ही पार्टियों की कुल संयुक्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक बेच चुका है और मेहर सिंह के चौथाई हिस्से का मुआवजा भी उन्हें दिया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 30 के तहत जिला न्यायाधीश, अंबाला को भूमि के बाजार मूल्य और

मेहर सिंह के 1/4 वें हिस्से के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए 14706 रुपये की राशि के लिए एक संदर्भ दिया। संदर्भ की प्राप्ति पर चूंकि यह धारा 18 के तहत एक संदर्भ के रूप में सामने आया, इसलिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 21 दिसंबर 1983 के आदेश के तहत अपीलकर्ता मेहर सिंह को 4 फरवरी 1984 के लिए नोटिस जारी किया गया। उस दिन, मेहर सिंह अपीलकर्ता की सेवा के लिए भेजा गया पंजीकृत लिफाफा डाक अधिकारियों की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुआ कि वह सेवा से बच रहा था। परिणामस्वरूप, 14 मार्च, 1984 को ढोल बजाकर उद्घोषणा के माध्यम से मेहर सिंह पर सेवा प्रभावी करने का आदेश दिया गया। उस दिन यह बताया गया कि मेहर सिंह की सेवा प्रतिज्ञा के माध्यम से प्रभावित की गई थी। चूंकि उनकी ओर से कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उन पर एकपक्षीय कार्रवाई कर दी गई। परिणामस्वरूप, 8 अगस्त, 1984 का निर्णय उनके तीन भाइयों, प्रतिवादी 1 से 3, के पक्ष में पारित किया गया। मेहर सिंह ने 26 सितंबर, 1984 को एक पक्षीय पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह आरोप लगाया गया था कि 24 सितंबर 1984 को गांव के विश्वसनीय स्रोत से उनके संज्ञान में आया था कि केहर सिंह और अन्य ने 8 अगस्त 1984 को एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया था। उनके अनुसार, उनके भाइयों द्वारा एक झूठी और काल्पनिक रिपोर्ट बनाई गई थी कि मेहर सिंह समन की तामील से बच रहे थे और उन्हें ढोल की थाप पर उद्घोषणा के माध्यम से सम्मन तामील कराया जाए। उनके अनुसार, उन्होंने कभी भी समन की तामील से परहेज नहीं किया और न ही समन स्वीकार करने से इनकार किया और इस प्रकार उनके खिलाफ पारित एकतरफा आदेश अवैध था। केहर सिंह व अन्य की ओर से दाखिल जवाब में उक्त आरोपों का खंडन किया गया। यह दलील दी गई कि समन उन्हें पंजीकृत डाक के माध्यम से विधिवत भेजा गया था और हिरई ने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में उसकी विधिवत

मुनादी कराकर मुनादी कराई गई क्योंकि वह सेवा से बच रहा था और फर्जी रिपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। मेहर सिंह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे अर्जित भूमि में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि वह पहले ही संयुक्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक बेच चुका था। पक्षों के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की सराहना करने पर, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेहर सिंह को मुनादी और प्रत्यय के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा द्वारा विधिवत सेवा दी गई थी क्योंकि वह सेवा से बच रहा था, जैसा कि डाक अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि भले ही यह मान लिया जाए कि उसे समन की विधिवत तामील कर दी गई थी, चूँकि समन के साथ आवेदन की कोई प्रति संलग्न नहीं थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि उसे तामील करा दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया। इस आधार पर कि अधिनियम के तहत एक संदर्भ में समन के साथ आवेदन की एक प्रति संलग्न करने का कोई सवाल ही नहीं था। हालाँकि, यह भी देखा गया कि मेहर सिंह द्वारा दायर आवेदन दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने उस स्रोत का खुलासा नहीं किया था जहाँ से उन्हें एक पक्षीय पुरस्कार के बारे में पता चला था। इस निष्कर्ष के मद्देनजर आवेदन खारिज कर दिया गया। इसी से असंतुष्ट होकर मेहर सिंह ने यह अपील इस न्यायालय में दायर की है।

(2) अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि चूंकि पंजीकृत डाक से भेजे गए समन में आवेदन की प्रति नहीं थी, इसलिए इन परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि कोई वैध सेवा थी।

(3) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। अधिनियम की धारा 45 अधिनियम के तहत नोटिस की सेवा का तरीका प्रदान करती है जो निम्नानुसार है: -

"45. नोटिस की सेवा-

(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी नोटिस की सेवा, धारा 4 के तहत नोटिस के मामले में, उसमें उल्लिखित अधिकारी द्वारा, और किसी अन्य नोटिस के मामले में कलेक्टर या जज द्वारा, उसकी एक प्रति देकर या निविदा देकर की जाएगी।

(2) जब भी यह व्यवहार्य हो, नोटिस की तामील उसमें नामित व्यक्ति को की जाएगी।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो सेवा उसके साथ रहने वाले किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य या उसके परिवार को दी जा सकती है; अनु, यदि ऐसा कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं पाया जा सकता है, तो नोटिस उस घर के बाहरी दरवाजे पर कॉपी चिपकाकर दिया जा सकता है, जिसमें नामित व्यक्ति आमतौर पर रहता है या व्यवसाय करता है, या उसकी एक प्रति किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाकर दी जा सकती है। मेरे अधिकारी के कार्यालय में या न्यायालय में कलेक्टर के स्थान पर, और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के कुछ विशिष्ट हिस्से में भी:

बशर्ते कि, यदि कलेक्टर या न्यायाधीश ऐसा निर्देश दें, तो एक नोटिस डाक द्वारा, एक पत्र में भेजा जा सकता है। उसमें नामित व्यक्ति अपने अंतिम ज्ञात निवास, पते या व्यवसाय के स्थान पर है और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1866 (1866 का 14) के भाग III के तहत पंजीकृत है, और इसकी सेवा प्राप्तकर्ता की रसीद के उत्पादन से साबित की जा सकती है।

(4) अधिनियम की धारा 53 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि वे इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ से असंगत हों। चूंकि अधिनियम के तहत नोटिस की सेवा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है जैसा कि ऊपर प्रस्तुत धारा

45 के तहत प्रदान किया गया है, इसलिए सेवा तदनुसार प्रभावी की जानी थी। ऐसे में आवेदन की प्रति भेजने का सवाल ही नहीं उठता। चूंकि यह कलेक्टर द्वारा किया गया एक संदर्भ था, इसलिए नोटिस केवल इसलिए दिया जाना था कि कलेक्टर द्वारा ऐसा संदर्भ दिया गया है, जिसका अपीलकर्ता द्वारा यहां विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार, मुझे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निष्कर्षों में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं दिखती। इसके अलावा, अपीलकर्ता के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले ही संयुक्त हिस्सेदारी में अपने हिस्से से अधिक बेच चुका था और उसे पुरस्कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि राशि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा बढ़ा दी गई थी, इसलिए उन्होंने एक गुप्त उद्देश्य से उनके खिलाफ एकपक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया। नतीजतन, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा